


न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवाम०प्र०

निगरानी प्रकरण क्र० /2014



Re. 201

R-3758-III/14

श्री गयाचरण वाजपेयी पिता स्व० अन्वो प्रसाद वाजपेयी उम्र 52 साल
पेशा खेती, निवासी ग्राम खहरा, तह० हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

आवेदक

वनाम

699
1.8.14

क्रमांक 346
दिनांक 29-10-14

- 1- श्री जगदीश प्रसाद उम्र 82 साल पेशा खेती,
- 2- श्री कौशल प्रसाद ब्रा० उम्र 80 साल पेशा खेती,
- 3- श्री त्रिवेणी प्रसाद उम्र 77 वर्ष, पेशा खेती, तीनों के पिता स्थम्बर राम

रीवा म०प्र०

आवेदकगण

श्री. इमेश कुमार द्विवेदी
द्वारा आवेदक
प्रस्तुत किया गया
1.8.14
सर्किट कोर्ट

निगरानी विरुद्ध निणयि वआदेश श्रीमान्
अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह० हुजूर, जो
राजस्व प्रकरण क्र० 68अ-6/2010-11 जाँदि०
6-9-2014 को पारित किया गया है, अन्तर्गत
धारा 50 म०प्र० मूराजस्व संहिता सन 1959 ई०

मान्यवर,
निगरानी के आधार निम्न लिखित है -

1- यह कि निणयि वआदेश अतिस्थ न्यायालय अनियमित वैध व त्रुटि पूर्ण
होने केसे निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि अतिस्थ न्यायालय केसम्हा अपीलार्थी ने जो इस मामले मे

M
1-2 राजा चरण वाजपेयी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R. 3758-17/14... जिला... सीवा

10

गपा-याग वाजपेयी | जादीश प्रसाद वीर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>7-1-16</p> <p>(127)</p>	<p>1- आवेदक की ओर से श्री उमेश कुमार खड्गे की स.उप.</p> <p>2- वास्तु कापसी पर लक्ष</p> <p>पेशी तारीख 20-1-16</p> <p>आता से</p>	<p>M.A</p> <p>20-1-16</p>
<p>20-1-16</p>	<p>प्रकार में आवेदक गयाचल वाजपेयी की ओर से व लक्ष के अर्जुनी की ओर से हुए आवेदन पत्र प्रारंभिक जागृणी प्रकार को वापस लेने का निवेदन किया। आवेदक आवेदक हुए प्रारंभिक आवेदन पत्र पर विचारपूर्वक आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकार वापस किए जाने के अर्थ में कोलकाता इली (एनए) समाप्त किया जाते हैं। पक्षकार (अर्जुनी हैं) प्रकार रिपोर्ट।</p> <p>(नयाय)</p>	<p>प्रकार नहीं</p> <p>पलान्त चर्चा</p> <p>General</p> <p>(अर्जुनी कुमुदी)</p> <p>20/1/16</p>